



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता संख्या- 1120 वर्ष 2026

प्रियांशु सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ और अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सौरभ कुमार, अनिल कुमार मिश्रा, अश्रुत सिंह, शिवम

मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विकास

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार सिंह, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार वर्मा एवं शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास, जिन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल किया है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है, को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. आवेदक द्वारा वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, मुकद्दमा अपराध संख्या 105 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 69, 127(2), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर में अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
3. उक्त प्रकरण दिनांक 14.04.2026 को दर्ज कराई गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता की मुलाकात आवेदक से कादीपुर कस्बे में हुई थी। आवेदक ने शिकायतकर्ता को नौकरी दिलवाने का प्रलोभन दिया था, जिसके उपरांत उसकी आवेदक से फोन पर बातचीत प्रारम्भ हो गई। आवेदक ने उसे अपने कमरे पर बुलाया, विवाह करने का वचन दिया और उसके साथ जबरन कुकृत्य किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आवेदक ने उसके फोटो व वीडियो तैयार कर लिए। तत्पश्चात आवेदक ने उससे विवाह करने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिनांक 28.03.2026 को आवेदक ने फोटो व वीडियो डिलीट करने के बहाने उसे अपने कमरे पर बुलाया और उसके साथ मारपीट की।
4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज कराए गए बयान में पीड़िता ने अपने पूर्व कथन को दोहराया है। पीड़िता की चिकित्सीय-विधिक परीक्षण (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन) रिपोर्ट में चोट का कोई दृश्यमान निशान दर्ज नहीं है। चिकित्सक को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

घटना का विवरण देते समय शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि आवेदक उसका प्रेमी (बायफ्रेंड) है। चिकित्सीय-विधिक परीक्षण रिपोर्ट में पीड़िता के आंतरिक परीक्षण में भी चोट का कोई निशान या बल प्रयोग के संकेत प्रकट नहीं हुए हैं।

5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज कराए गए बयान में पीड़िता ने अपने पूर्व कथन को दोहराया है।

6. पक्षकारों द्वारा दिनांक 28.09.2025 को निष्पादित एक समझौता-पत्र अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें यह अभिलिखित है कि दोनों पक्षकार विगत 11 माह से प्रेम संबंध में थे और उन्होंने दिनांक 05.10.2025 तक विवाह करने पर सहमति व्यक्त की थी।

7. प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के कथनों में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक 25 वर्ष की आयु का एक नवयुवक है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है तथा यह कथन किया है कि प्रकरण में विवेचना लंबित है।

9. प्रकरण के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत तथा ऐसी कोई टिप्पणी किए बिना जो प्रकरण के अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती हो, मेरी यह राय है कि उक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार बनाते हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है। उक्त मुकद्दमा अपराध में आवेदक-**प्रियांशु सिंह** की गिरफ्तारी/विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की दशा में उसे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषप्रद व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों तथा विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली किसी अन्य शर्त के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:

- (i) कि आवेदक जब भी आवश्यक होगा, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- (ii) कि आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे;
- (iii) कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;
- (iv) कि आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; तथा
- (v) कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

जून 19, 2026

प्रदीप/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।